भारत सरकार

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्नि संख्याय 3823

16 जुलाई, 2019 के लिए प्रश्न

अपर्याप्त भंडारण क्षमता

3823. श्री जय प्रकाश:

श्री अरुण साव:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में खाद्यान्नों की अपर्याप्त भंडारण क्षमता के कारण हर वर्ष खाद्यान्नों की भारी बर्बादी होती है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या देश में खाद्यान्नों के भंडारण की पर्याप्त क्षमता नहीं है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और यदि नहीं, तो देश में कुल कितने भंडार गृह हैं और इनकी खाद्यान्न भंडारण क्षमता कितनी है;

(ग) उन राज्यों के नाम क्या हैं जिनके पास अपनी आवश्यकता से अधिक खाद्यान्न की भंडारण क्षमता है;

(घ) क्या कुछ राज्यों में खाद्यान्नों की अतिरिक्त भंडारण क्षमता एक समस्या बन गई है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) इस संबंध में सरकार द्वारा उठाए/उठाए जाने वाले सुधारात्मक उपायों का ब्यौरा क्या है?

उत्तचर

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्यब मंत्री

(श्री दानवे रावसाहेब दादाराव)

(क) से (च): कुल 741.41 लाख टन के स्टॉक (दिनांक 01.06.2019 की स्थिति के अनुसार) की तुलना में भारतीय खाद्य निगम , केन्द्रीय भंडारण निगम और राज्य एजेंसियों के पास उपलब्ध कुल भंडारण क्षमता (स्वयं की और किराए की क्षमता , दोनों) 862.45 लाख टन (दिनांक 31.05.2019 की स्थिति के अनुसार) है, जिसमें 739.76 लाख टन क्षमता के कवर्ड गोदाम तथा कवर एंड प्लिंथ (कैप) भंडारण की 122.69 लाख टन क्षमता शामिल है। इस प्रकार , केन्द्रीय पूल के खाद्यान्नों के भंडारण के लिए राष्ट्रीय स्तर पर पर्याप्त भंडारण क्षमता उपलब्ध है। दिनांक 31.05.2019 की स्थिति के अनुसार भारतीय खाद्य निगम के कुल 2068 डिपो/गोदाम (स्वयं के और किराए के दोनों) हैं।

सरकार, विशिष्ट क्षेत्रों में आवश्यकता के आधार पर तथा भंडारण सुविधाओं के आधुनिकीकरण के लिए देश में खाद्यान्नों के केन्द्रीय पूल स्टॉक के लिए गोदामों तथा साइलो के निर्माण हेतु निम्नंलिखित स्कीममें कार्यान्वित कर रही :है

जारी.....2/-

i. **निजी उद्यमी गारंटी (पीईजी) स्कीम:** इस स्कीम के अंतर्गत , जो वर्ष 2008 में तैयार की गई थी , भंडारण क्षमता का निर्माण भारतीय खाद्य निगम द्वारा गारंटी देकर किराए पर लेने के लिए निजी पार्टियों, केन्द्रीय भंडारण निगम और राज्य सरकार की एजेंसियों द्वारा किया जाता है। दिनांक 31.05.2019 की स्थिीति के अनुसार 142.62 लाख टन क्षमता का निर्माण किया गया है। इस स्की0म के अंतर्गत सरकार द्वारा गोदामों के निर्माण के लिए कोई निधि जारी नहीं की जाती है तथा पूरा निवेश निजी पार्टियों/केन्द्रीय भंडारण निगम/राज्यक एजेंसियों द्वारा किया जाता है।

ii. **केंद्रीय क्षेत्र की स्की/म (पूववर्ती योजना स्की म):**यह स्कीम कुछ अन्य0 राज्यों सहित पूर्वोत्तर राज्यों में कार्यान्वित की जा रही है। सरकार द्वारा गोदामों के निर्माण के लिए भारतीय खाद्य निगम तथा राज्या सरकार को भी सीधे निधियां जारी की जाती हैं। भारतीय खाद्य निगम तथा राज्यी सरकारों द्वारा 12वीं पंचवर्षीय योजना (2012-17) के दौरान कुल 1,84,175 टन क्षमता का निर्माण पूरा कर लिया गया है। इस स्कीम को 3 वर्षों के लिए दिनांक 01.04.2017 से दिनांक 31.03.2020 तक बढ़ाया गया है। भारतीय खाद्य निगम और राज्य सरकारों द्वारा दिनांक 01.04.2017 से दिनांक 31.05.2019 तक 49,375 टन क्षमता का निर्माण किया गया है।

iii. **स्टी0ल साइलो का निर्माण:** पारम्परिक गोदामों के अलावा , भंडारण के बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण और भंडारण में रखे खाद्यान्नों के जीवन काल (शेल्फ लाइफ) में सुधार करने के लिए भारत सरकार ने देश में सार्वजनिक-निजी-भागीदारी (पीपीपी) पद्धति से 100 लाख टन क्षमता के स्टील साईलो के निर्माण हेतु एक कार्य योजना भी अनुमोदित की है। इसमें से दिनांक 31.05.2019 की स्थिाति के अनुसार 6.75 लाख टन क्षमता के स्टील साइलो का निर्माण किया गया है।

भंडारण क्षमता का उपयोग खाद्यान्नों की खरीद्र संचलन आदि के स्तनर पर निर्भर करता है जो समय-समय पर भिन्ना हो सकता है। खरीद वाले क्षेत्रों में खरीद के समय क्षमता उपयोग अधिकतम होता है, परंतु तत्प्श्चासत स्टॉक को कमी वाले क्षेत्रों में भेज दिया जाता है। इसके परिणामस्वहरूप स्टॉक समाप्त हो जाता है और क्षमता उपयोग भी कम हो जाता है , अतः क्षमता , सूक्ष्मा स्तेर पर अस्था ई रूप से अधिशेष हो जाती है परंतु समग्रत: अर्थात व्यापेक स्तषर पर भारतीय खाद्य निगम के पास क्षमता आवश्यषकतानुसार होती है।

भारतीय खाद्य निगम आवधिक रूप से भंडारण क्षमता की निगरानी करता है और जायजा लेता है और यदि भंडारण क्षमता में अंतर हो, तो अतिरिक्त भंडारण क्षमता के निर्माण हेतु कदम उठाए जाते हैं। भारतीय खाद्य निगम आवश्यकतानुसार विभिन्न राज्य एजेंसियों और निजी क्षेत्र के माध्यम से गोदाम किराए पर भी लेता है।

******